मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 11, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11: 02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

1. गर्भगृह में प्रवेश, धरना एवं वापसी

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण सर्वश्री ओमकार सिंह मरकाम, नारायण सिंह पट्टा एवं श्री फुन्देलाल सिंह मार्को द्वारा उनके जिलों में सरकार से कई बार मांग किये जाने के बावजूद भी रोजगार गारंटी योजना के तहत् मजदूरों को रोजगार न मिल पाने के विरोध में गर्भगृह में धरने पर बैठ गये.

कुछ देर उपरांत अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यगण से अपने-अपने आसन पर जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर श्री उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया कि आप कृपया माननीय सदस्यों की बात अपने कक्ष में सुन ले. इस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि वे जरूर मेरे कक्ष में आ जाये. तदुपरांत माननीय सदस्यगण अपने-अपने आसन पर चले गये.

2. विशेष उल्लेख

आसंदी द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि आज राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस है एवं जैसा कि सभी को विदित ही है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी. जिसमें जहरीली गैस रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी. उन दिवंगतों की स्मृति में सदन द्वारा कुछ देर मौन खडे रहकर श्रद्वांजलि अर्पित की गई.

3. बधाई एवं शुभकामनाएं

आसंदी द्वारा श्री विजय रेवनाथ चौरे, सदस्य को जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं.

4. विशेष उल्लेख

श्री अरविन्द शर्मा प्रमुख सचिव विधान सभा के परिचय संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री अरविन्द शर्मा, प्रमुख सचिव विधान सभा का परिचय दिये जाने के उद्देश्य से सदन के माननीय सदस्यगण को अवगत कराया गया कि श्री अरविन्द शर्मा जी हमारे नये प्रमुख सचिव पदस्थ हुए हैं. श्री शर्मा जी लोक सभा सचिवालय में 34 वर्ष से अधिक समय का अनुभव अर्जित कर एवं संयुक्त सचिव, निदेशक आदि विभिन्न पदों पर कार्यरत् रहकर सभी संसदीय कार्यों जैसे विधायी, प्रश्न, विधेयक, जांच, संसदीय समितियां, सम्पदा एवं प्रबंधन तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सफल संचालन में शामिल रहे है. श्री शर्मा मार्च 2024 से मध्यप्रदेश विधान सभा में लगभग डेढ वर्ष से सचिव के पद पर कार्यरत् रहने के पश्चात् 1 अक्टूबर 2025 से मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रमुख सचिव के पद पर पदस्थ हुए है. मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं हम सभी का प्रयत्न रहे कि प्रमुख सचिव से मिलकर हम अपने काम-काज को आगे बढाये.

5. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1 से 7 तक) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 153 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 186 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

6. माननीय मंत्री की अस्वस्थतावश सदन की कार्यवाही का स्थगन

प्रश्नकाल के दौरान किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वे सदन में अचानक अपने आसन पर बैठ-बैठे बेहोश होकर गिर गये. जिसके फलस्वरूप सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न 11:20 बजे से 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पूर्वाह्न 11:29 बजे विधान सभा पुन: समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

7. अध्यक्षीय घोषणा

1. कार्य सूची में अंकित कार्य की पूर्ववर्तिता को शिथिल किये जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि आज की कार्य सूची के पद 10(2) में अंकित विधेयक के भारसाधक मंत्री के अनुरोध को मान्य करते हुए मैने स्थायी आदेश कंडिका 1 सभा के समक्ष कार्य की पूर्ववर्तिता को शिथिल कर उक्त विधेयक पर विचार संबंधी प्रस्ताव पत्रों के पटल पर रखे जाने के तुरंत पश्चात् किये जाने की अनुमति प्रदान की है.

2. नियम 267-के के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं 10 के स्थान पर 15 लिये जाने संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि सामान्य तौर पर शून्यकाल की 10 सूचनाएं ली जाती है. नियम को शिथिल कर आज 15 शून्यकाल की सूचनाएं ली जाएंगी. इन्हें अभी के बजाए बाकी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत सभी सदस्यों को उनको पढने का अवसर दिया जायेगा. इसलिये सभी सदस्य उपस्थित रहे.

8. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वाणिज्यिक कर)** द्वारा -

(क) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की धारा 71-क की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक CT/4/2/0001/2024-Sec-1-05(CT) (21), दिनांक 03 जून, 2025,
(ii) क्रमांक CT/4/0001/2022-Sec-1-पांच (CT) (21), दिनांक 05 जून, 2025,
(iii) क्रमांक CT/4/0001/2022-Sec-1-पांच(CT)(38),दिनांक 22 सितम्बर, 2025 एवं
(iv) क्रमांक CT-4-7-0001-2025-Sec-1-पांच(CT)(41),दिनांक 15 अक्टूबर, 2025 तथा

(ख) मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक FA-3-35/2017/1/पांच (25), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(ii) क्रमांक FA-3-34/2017/1/पांच (26), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(iii) क्रमांक FA-3-23/2018/1/पांच (27), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(iv) क्रमांक CT/8/0010/2025-Sec-1-05(CT) (28), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(v) क्रमांक एफ ए-3-43/2017/1/पांच (29), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(vi) क्रमांक एफ ए -3-42/2017-1-पांच (30), दिनांक 18 सितम्बर, 2025,
(vii) क्रमांक एफ ए -3-33/2017/1/पांच (33), दिनांक 19 सितम्बर, 2025,
(viii) क्रमांक CT/8/0011/2025-Sec-1-पांच (CT) (31), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
(ix) क्रमांक CT/8/0012/2025-Sec-1-पांच (CT) (32), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
(x) क्रमांक एफ ए -3-11-2018-1-पांच (34), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
(xi) क्रमांक CT/8/0013/2025-Sec-1-पांच (CT) (36), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
(xii) क्रमांक CT/8/0014/2025-Sec-1-पांच (CT) (37), दिनांक 22 सितम्बर, 2025,
(xiii) क्रमांक एफ ए -3-32-2017-1-पांच (35), दिनांक 22 सितम्बर, 2025 एवं
(xiv) क्रमांक एफ ए -3-35-2017-1-पांच (40), दिनांक 13 अक्टूबर, 2025,

पटल पर रखी गई.

(2) **सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री** द्वारा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत बनाये गये मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2007 की कंडिका 20 की उप कंडिका (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 पटल पर रखा गया.

(3) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री** द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 की उपधारा (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025,

(ख) म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वित्तीय वर्ष 2024-2025, एवं

(ग) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित) भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2024-2025

पटल पर रखे गये.

(4) **श्री तुलसीराम सिलावट, जल संसाधन मंत्री** द्वारा –

(क) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2024-2025,

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 394 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024, एवं

(ग) मध्यप्रदेश विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना क्रमांक 1925/मप्रविनिआ/2025 भोपाल, दिनांक 03 अक्टूबर, 2025

पटल पर रखे गये.

(5) **श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री** (डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री द्वारा अधिकृत) – द्वारा (क) खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 18 (3) की अपेक्षानुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान, जिला छिन्दवाड़ा एवं कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 तथा जिला पांढुर्णा, ग्वालियर, बालाघाट, छिन्दवाड़ा एवं कटनी का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-2024 तथा जिला पांढुर्णा एवं छिन्दवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 एवं

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार डी.एम.आई.सी.पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखे गये.

(6) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री पर्यटन** द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 42वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 पटल पर रखा गया.

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाये. इस पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया –

1. श्री फूलसिंह बरैया
2. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
3. श्री जयवर्द्धन सिंह
4. डॉ. अभिलाष पाण्डेय

सभापति महोदय (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय) पीठासीन हुए

5. श्री आरिफ मसूद
6. श्री ओम प्रकाश सखलेचा
7. श्री नारायण सिंह पट्टा
8. श्री अभय मिश्रा
9. श्री लखन घनघोरिया

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

10. डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान
11. श्री भंवर सिंह शेखावत
12. श्री उमंग सिंघार

10. अध्यक्षीय घोषणा

सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि विधेयक पर चर्चा पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाये.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

श्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

श्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पर विचार किया जाए.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 से 18 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने.

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 20 सन् 2025) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(अपराह्न 1.42 बजे से 3.21 बजे तक अंतराल)

अध्यक्ष महोदय (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) पीठासीन हुए.

12. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) **श्री दिनेश जैन (बोस), सदस्य** ने सिहोर स्थित वीआईटी युनिवर्सिटी में दूषित पानी व निम्नस्तरीय भोजन के कारण विद्यार्थियों में पीलिया होने से छात्रों में व्याप्त आक्रोश की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. श्री हेमन्त सत्यदेव कटारे एवं श्री महेश परमार सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया. श्री इन्दर सिंह परमार, मंत्री, उच्च शिक्षा ने चर्चा का उत्तर दिया.

(2) **डॉ. अभिलाष पाण्डेय,सदस्य ने** प्रदेश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों में स्मार्टफोन और इंटरनेट के अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न स्थिति की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. कु. निर्मला भूरिया, मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने चर्चा का उत्तर दिया.

13.अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 52- बिजावर से निर्वाचित सदस्य, श्री राजेश कुमार शुक्ला (बबलू भैया) को विधान सभा के दिसम्बर, 2025 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

14. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) **श्री हरदीप सिंह डंग, सभापति** ने याचिका एवं अभ्यावेदन समिति का याचिकाओं से संबंधित नवम् एवं चतुर्दश विधानसभा का कार्यान्वयन से संबंधित सप्तम् प्रतिवेदन तथा अभ्यावेदनों से संबंधित बयालीसवां, तैतालीसवां एवं चवालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(2) **श्री हरिशंकर खटीक, सभापति** ने शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का पन्द्रहवां, सोलहवां, सत्रहवां, अठारहवां, उन्नीसवां, बीसवां, इक्कीसवां एवं बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

(3) **श्री दिलीप सिंह परिहार, सभापति** ने कृषि विकास समिति का षष्ठम् कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

15. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की घोषणानुसार आज की कार्यसूची में पदक्रम 6 के सरल क्रमांक 1 से 59 तक निम्नांकित याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं.

(1) **डॉ. हिरालाल अलावा** (जिला-धार)
(2) **श्री अनिल जैन** (जिला-निवाडी)
(3) **श्री विजय रेवनाथ चौरे** (जिला-छिन्दवाड़ा)
(4) **श्री राजेश कुमार वर्मा** (जिला-पन्ना)
(5) **श्री पंकज उपाध्याय** (जिला-मुरैना)
(6) **श्री गोपाल सिंह इंजीनियर** (जिला-सीहोर)
(7) **श्री श्रीकान्त चतुर्वेदी** (जिला-मैहर)
(8) **श्री यादवेन्द्र सिंह** (जिला-टीकमगढ़)
(9) **श्री विश्वनाथ सिंह मुलाम भैया** (जिला-नरसिंहपुर)
(10) **श्री प्रहलाद लोधी,** (जिला-पन्ना)
(11) **श्री बिसाहूलाल सिंह**(जिला-अनूपपुर)
(12) **श्री नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर** (जिला-टीकमगढ़)
(13) **श्री सोहनलाल बाल्मीक** (जिला-छिन्दवाड़ा)
(14) **श्री भैरो सिंह बापू** (जिला-आगर मालवा)
(15) **श्री मोंटू सोलंकी** (जिला-बड़वानी)
(16) **श्री रमेश प्रसाद खटीक** (जिला-शिवपुरी)
(17) **श्री शैलेन्द्र कुमार जैन** (जिला-सागर)
(18) **श्री विपीन जैन** (जिला-मंदसौर)
(19) **श्री मोहन सिंह राठौर** (जिला-ग्वालियर)
(20) **डॉ. सीतासरन शर्मा** (जिला-नर्मदापुरम)
(21) **श्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह** (जिला-पन्ना)
(22) **श्री हजारीलाल दांगी** (जिला-राजगढ़
(23) **श्री मधु भगत** (जिला-बालाघाट)
(24) **श्री हेमंत सत्यदेव कटारे** (जिला-भिण्ड)
(25) **डॉ. सतीश सिकरवार** (जिला-ग्वालियर
(26) **श्रीमती अनुभा मुंजारे** (जिला-बालाघाट)
(27) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय** (जिला-रतलाम)
(28) **श्री दिनेश गुर्जर** (जिला-मुरैना)
(29) **श्री आतिफ आरिफ अकील** (जिला-भोपाल)
(30) **श्री राजन मण्डलोई** (जिला-बड़वानी)
(31) **डॉ. चिंतामणि मालवीय** (जिला-रतलाम)
(32) **श्री कालु सिंह ठाकुर** (जिला-धार)
(33) **श्री फूलसिंह बरैया** (जिला-दतिया)

(34) **श्री दिनेश राय मुनमुन** (जिला-सिवनी)
(35) **श्री साहब सिंह गुर्जर** (जिला-ग्वालियर
(36) **श्री घनश्याम चन्द्रवंशी** (जिला-शाजापुर)
(37) **श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाह** (जिला-सतना)
(38) **श्री अभय मिश्रा** (जिला-रीवा)
(39) **श्री मुकेश टंडन** (जिला-विदिशा)
(40) **श्री प्रणय प्रभात पांडे** (जिला-कटनी)
(41) **इंजीनियर प्रदीप लारिया** (जिला-सागर)
(42) **श्री नारायण सिंह पट्टा** (जिला-मंडला)
(43) **डॉ. रामकिशोर दोगने** (जिला-हरदा)
(44) **श्री दिनेश जैन बोस** (जिला-उज्जैन)
(45) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर** (जिला-टीकमगढ़)
(46) **श्री दिलीप सिंह परिहार** (जिला-नीमच)
(47) **श्री मथुरालाल डामर** (जिला-रतलाम)
(48) **श्री राजेन्द्र भारती** (जिला-दतिया)
(49) **श्री प्रताप ग्रेवाल** (जिला-धार)
(50) **श्रीमती सेना महेश पटेल** (जिला-अलीराजपुर)
(51) **श्री केदार चिड़ाभाई डावर** (जिला-खरगोन)
(52) **श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल** (जिला-धार)
(53) **श्री कामाख्या प्रताप सिंह** (जिला-छतरपुर)
(54) **श्री प्रदीप अग्रवाल** (जिला-दतिया)
(55) **डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह** (जिला-मैहर)
(56) **श्री सुरेश राजे** (जिला-ग्वालियर)
(57) **श्री बाला बच्चन** (जिला-बड़वानी)
(58) **श्री विवेक विक्की पटेल** (जिला-बालाघाट)
(59) **श्री बृज बिहारी पटैरिया** (जिला-सागर)

16. वक्तव्य

श्री चेतन्य कुमार काश्यप, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (अधिकृत-खनिज साधन विभाग) द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2025 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 117 (क्रमांक 2856) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया गया.

17. वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2025-2026 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया गया.

18. वर्ष 2011-2012 के आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त) द्वारा वर्ष 2011-2012 के दत्तमत अनुदान औश्र भारित विनियोग पर आधिक्य व्यय के विवरणों का उपस्थापन किया गया.

19. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) **श्री प्रहलाद सिंह पटेल,श्रम मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पर विचार किया जाय. इस पर चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया –

1. श्री शैलेन्द्र कुमार जैन
2. श्री फूलसिंह बरैया

3. श्री सोहनलाल बाल्मीक
   श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2,3, 4, 5 तथा 6 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक के अंग बने.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (द्वितीय संशोधन) विधेयक,2025 (क्रमांक 19 सन् 2025) पारित किया जाय.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

20. अध्यक्षीय व्यवस्था
नियम 267-क के अधीन विषय संबंधी

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार डॉ. सीतासरन शर्मा हाऊस की एक बैठक में है. उनकी सूचना पढी हुई मानी जाएंगी. शेष सूचनाएं माननीय सदस्य पढेंगे-

(1)	डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी स्थित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय (पु.) के भवन निर्माण हेतु विभाग से अनुमति न मिल पाने,
(2)	श्री महेश परमार, सदस्य की समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्यरत प्रशिक्षकों से संबंधित नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता होने,
(3)	डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य की हरदा जिला अंतर्गत ग्राम हंडिया के मॉ नर्मदा को नाभी लोक घोषित किया जाने,
(4)	श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, सदस्य की खण्डवा-जावर-मुंदी मार्ग की हालत खराब होने से शीघ्र कार्य प्रारंभ कर प्रक्रिया पूर्ण करने,
(5)	श्री सोहन लाल बाल्मीक, सदस्य की जिला छिन्दवाड़ा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण न की जाने,
(6)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, सदस्य की सिवनी जिले में कोविड के समय आये कोवेक्सीन व कोवीशील्ड टीकों का दुरूपयोग होना,
(7)	श्री विजयपाल सिंह, सदस्य की प्रदेश में कीर समाज को पूर्व की भांति सूची में स्वतंत्र जाति घोषित की जाना,
(8)	श्री मोहन सिंह राठौर, सदस्य की ग्वालियर जिला स्थित हरसी डेम की नहरों की मरम्मत न किये जाने से उत्पन्न स्थिति,
(9)	श्री सुरेश राजे, सदस्य की डबरा कृषि उपज मंडी मे वाहनों के जाम से हो रही परेशानी के संबंध में,
(10)	श्री कैलाश कुशवाह, सदस्य की प्रदेश में डॉक्टरों की कमी होने से उत्पन्न स्थिति,
(11)	श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ में पेयजल की समस्या होना,
(12)	श्री नारायण सिंह 'पट्टा' , सदस्य की अतिथि शिक्षकों को नियमित किये जाने के संबंधी,
(13)	श्री दिनेश राय 'मुनमुन', सदस्य की सिवनी विधानसभा स्थित वैनगंगा नदी पर पुल निर्माण कराया जाना,
(14)	श्री राजेन्द्र भारती, सदस्य की दतिया के ग्राम रावरी में सॉय नदी पर पुल का निर्माण किया जाना,
	संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाओं में से एक सूचना पढी हुई मानी गई तथा शेष सूचनाएं पढी गई.

अपराह्न 05.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 (अग्रहायण 13, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

अरविन्द शर्मा
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल
दिनांक : 02 दिसम्बर, 2025